संख्या 95/2016/1264/41-2016-92 यो0/15

प्रेषक,

शिव कुमार पाठक,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0,
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ दिनांक 16 अगस्त 2016

विषयः- जनपद आगरा में ताजमहल पूर्वी गेट रोड पर ताजमहल से लगभग 1300 मीटर की दूरी पर स्थित विद्युत विभाग की 11.38 एकड भूमि में से 5.9 एकड भूमि पर मुगल म्यूजियम के निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र सं0-564/6-1-1(564)/2015, दिनॉक 25-07-2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. वित्तीय वर्ष 2015-16 में जनपद आगरा में ताजमहल पूर्वी गेट रोड पर ताजमहल से लगभग 1300 मीटर की दूरी पर स्थित विद्युत विभाग की 11.38 एकड भूमि में से 5.9 एकड भूमि पर मुगल म्यूजियम के निर्माण हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा परियोजना की अनुमोदित लागत रू0 14189.73 लाख (रूपये एक सौ इकतालीस करोड नवासी लाख तिहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति तथा रू0 15.00 करोड (रूपये पन्द्रह करोड मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0 25/2016/307/41-2016-92 यो0/15, दिनांक 09.02.2016 द्वारा प्रदान की गयी है।

3. उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपद आगरा में ताजमहल पूर्वी गेट रोड पर ताजमहल से लगभग 1300 मीटर की दूरी पर स्थित विद्युत विभाग की 11.38 एकड भूमि में से 5.9 एकड भूमि पर मुगल म्यूजियम के निर्माण हेतु रू0 10.00 करोड (रूपये दस करोड मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा एवं उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत के सीमान्तर्गत ही किया जायेगा। कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/चार्ज देय नही होगा।

(3) कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति की सूचना व उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(5) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पडे।

http://finance.up.nic.in

(6) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि परियोजना के अन्तर्गत सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों के रख-रखाव/अनुश्रवण हेतु उचित व्यवस्था रहे।

(7) योजना का अनुश्रवण शासन स्तर पर नियमित रूप से सुनिश्चित किया जायेगा एवं मासिक वित्तीय तथा भौतिक प्रगति राज्य सरकार एवं त्रैमासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(8) परियोजना के निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात निर्माण की गुणवत्ता एवं अनुरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु कार्यदायी संस्था का उत्तरदायित्व होगा।

(9) परियोजना की लागत के सम्बन्ध में व्यय वित्त द्वारा दिये गये सुझावों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) योजना के क्रियान्वयन हेतु निर्गत शासनादेश सं0-117/2015/1892/41-2015-92 यो0/15, दिनांक 11.08.2015 एवं शासनादेश सं0 25/2016/307/41-2016-92 यो0/15, दिनांक 09.02.2016 में उल्लिखित दिशानिर्देशों, प्राविधानों, शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखा शीर्षक-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-80-सामान्य-104- संवर्धन तथा प्रचार-29-आगरा में मुगल म्यूजियम की स्थापना-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0 1/2016 बी0-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित वित्तीय अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव

संख्या-95/2016/1264(1)/41-2016तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- आयुक्त/जिलाधिकारी, आगरा ।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, उ0प्र0 लखनऊ।
5- निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री, उ0प्र0, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7/ नियोजन अनुभाग-4
8- क्षेत्रीय पर्यटनक अधिकारी, आगरा।
9- श्री राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
10- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव।

http://srdsanadesh.up.nic.in